



सत्यमेव जयते

37/2022

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Jay
Lalit Kumar Tamba

Stamp Vendor Lic.No.-F-47

Tehsil Sadar, Farrukhabad

Mob. No. 9299017367

Certificate No. : IN-UP49891990435011U
 Certificate Issued Date : 25-Mar-2022 11:29 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14290204/ FARRUKHABAD SADAR/ UP-FRB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1429020490661853906866U
 Purchased by : ADITYA TANDON SO AJAY TANDON ETC
 Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
 Property Description : MOH-KHATRANA PAR-PAHARA TEH-SADAR FARRUKHABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : SHRI SHIVNATH TANDON M K V E A D SOCIETY
 Second Party : ADITYA TANDON SO AJAY TANDON ETC
 Stamp Duty Paid By : ADITYA TANDON SO AJAY TANDON ETC
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,000
 (One Thousand only)

LOCKED BY

सत्यमेव जयते


SUB REGISTRAR
Sadar, Farrukhabad



Please write or type below this line

Aditya Tandon

Lalit Kumar Tamba



0006560697

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ट्रस्ट डीड
ट्रस्ट का नाम: श्री शिवनाथ टण्डन मेमोरियल किड्स वेली ऐजुकेशन एण्ड
डेवलपमेन्ट सोसाईटी

यह पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट, इंडियन चैरिटेबिल ट्रस्ट ऐक्ट 1882 एवं संशोधित ऐक्ट 1920 के अन्तर्गत दिनांक 25-3-2022 को आदित्य टण्डन पुत्र श्री अजय टण्डन, निवासी- 2/147, खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, द्वारा संस्थापक के रूप में स्थान- 2/147, खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। जिसके अनुसार गठित श्री शिवनाथ टण्डन मेमोरियल किड्स वेली ऐजुकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट सोसाईटी में निम्नलिखित ट्रस्टी होंगे।


क्र. सं.	नाम, पिता/पति का नाम	उम्र	पद	व्यवसाय	पूरा पता
1.	श्री आदित्य टण्डन पुत्र श्री अजय टण्डन	27	मुख्य ट्रस्टी	समाजसेवा	2/147, खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश
2	श्री मिहिर टण्डन पुत्र श्री अजय टण्डन	24	ट्रस्टी	समाजसेवा	2/147, खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश

श्री शिवनाथ टण्डन मेमोरियल किड्स वेली ऐजुकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट सोसाईटी के संचालन हेतु संस्थापक द्वारा रू0 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की निधि संस्थापित की गयी, जो ट्रस्ट फण्ड के रूप में ट्रस्ट के संचालन हेतु प्रयुक्त होगी। ट्रस्ट का संचालन निम्न उद्देश्यों व नियमों के अनुरूप किया जायेगा।


स्मृति पत्र

1. ट्रस्ट का नाम : श्री शिवनाथ टण्डन मेमोरियल किड्स वेली
ऐजुकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट सोसाईटी ।
2. ट्रस्ट का पंजीकृत पता : 2/147, खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश।
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. ट्रस्ट के उद्देश्य : ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् होंगे:-

Aditya Tandon



M. Tandon



आवेदन सं०: 202200832004990

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 37

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 25000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

श्री आदित्य टण्डन (मुख्य ट्रस्टी),

पुत्र श्री अजय टण्डन

व्यवसाय : अन्य

निवासी: 2/147 खतराना स्ट्रीट शहर व पोस्ट व जिला फरुखाबाद



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/03/2022 एवं 01:28:34 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रधुप सिंह

उप निबंधक :सदर

फरुखाबाद

25/03/2022

निबंधन लिपिक सदर

निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

1. किसानों एवं मजदूरों का स्वयं सहायता समूह, प्रोड्यूसर कम्पनी, कोऑपरेटिव सोसायटी, किसान फेडरेशन, किसान क्लब, किसान विद्यालय, किसान चौपाल आदि का गठन व संचालन करना व करवाना। किसानों को कृषि विश्वविद्यालयों में भ्रमण कराना, कृषि विश्वविद्यालयों के नवीन शोध का प्रचार-प्रसार करना तथा किसानों को उन्नतशील खेती के बारे में जानकारी देना। किसानों को कृषि विविधीकरण एवं बागवानी के सन्दर्भ में जागरूक बनाना व प्रशिक्षित करना।
2. गौशालाओं की स्थापना करना, भारतीय पशुधन, नस्ल सुधार पर अनुसंधान, प्रचार-प्रसार का कार्य करना। पशु चिकित्सा केन्द्र, पशु सचल चिकित्सा केन्द्र, पशु चारागाह की स्थापना एवं उत्कृष्ट नस्ल का सीमेन बैंक बनाना, गाय के गोबर व गौमूत्र से जैविक खाद व जैविक कीटनाशक का उत्पादन करना एवं साथ ही गाय के गोबर व गौमूत्र से बनने वाले अन्य विविध उत्पादों पंचगव्य एवं औषधियों के उत्पादन के संदर्भ में शोध, अध्ययन एवं विकास का कार्य करना।
3. किसानों को जैविक खेती तथा जैविक खाद, जैविक कीट नियंत्रण, सनई व ढँचा की हरी खाद एवं नील हरित शैवाल, जीवामृत, बीजामृत एवं सूक्ष्म जैविक पोषक तत्वों, जीवाणु खाद आदि के उत्पादन व उपयोग के सन्दर्भ में विस्तार से जानकारी देना तथा उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करना। शोध, अध्ययन एवं विकास का कार्य करना।
4. किसानों एवं मजदूरों की आमदनी बढ़ाना तथा उनको स्वावलम्बी बनाना, कृषि की नवीन तकनीकी जानकारी देना, छोटे किसानों, सीमान्त एवं महिला किसानों, भूमिहीन किसानों व अधिया / बटाई पर खेती करने वाले किसानों को सहयोग प्रदान करना।
5. किसानों व मजदूरों तथा हस्तशिल्पियों के हित में भारत सरकार व प्रदेश सरकारों तथा सी0एस0आर0 फण्ड द्वारा संचालित योजनाओं / कार्यक्रमों का अध्ययन करना व जानकारी प्राप्त करना तथा उनके मध्य इसका प्रचार-प्रसार करना तथा उनकी कार्यक्रमों / सरकारी योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना। भारत सरकार, प्रदेश सरकारों, विभिन्न कम्पनियों के सी0एस0आर0 फण्ड से संचालित विकास कार्यक्रमों व गतिविधियों / योजनाओं / कार्यक्रमों के आउटकम्स / परिणाम / पब्लिक बेनीफिट का अध्ययन करना, सर्वे करना तथा उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को भेजना।
6. जनहित में पत्र-पत्रिकाएं, समाचार पत्र, न्यूज लेटर, शोध पत्र, पुस्तक, स्मारिका, कलेण्डर व डायरी, लेख पत्र आदि का प्रकाशन व वितरण करना।
7. सम्पूर्ण देश में प्राकृतिक आपदाओं / महामारी से प्रभावित लोगों के सहायतार्थ कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करना। शांति, एकता व वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से कार्य करना।



Aditya Tandon



Aditya Tandon

1. ट्रस्ट द्वारा किसानों व मजदूरों का स्वयं सहायता समूहों/किसान संगठनों (एफ0पी0ओ0) का गठन करना तथा समूहों का फेडरेशन बनाना, समूह के सदस्यों को व्यवसायिक/ रोजगारपरक प्रशिक्षण देना, लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना करवाना, बैंक व वित्तीय ट्रस्टों से उन्हें सूक्ष्म ऋण/क्रेडिट कार्ड दिलाने में सहायता करना।
9. प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरणीय प्रदूषण दूर करने हेतु विविध प्रयास करना। तापमान वृद्धि को रोकना, अधिकाधिक वृक्षारोपण करना व कराना, इस हेतु हरियाली अभियान चलाना, पौधशालाओं की स्थापना कराना, पंचवटी, पंच पल्लव, नवग्रह एवं नक्षत्र वाटिकाओं का रोपण करना। नदी, जल, वायु, व ध्वनि आदि प्रदूषण के कारकों पर अध्ययन व शोध करना तथा प्रदूषण दूर करने हेतु विविध प्रयास करना। जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण आदि के प्रति लोगों को जागरूक बनाना इसके कारण एवं निवारण हेतु विविध प्रयास करना। पालीथिन का कचरा जो कि जल, वायु व भूमण्डल को प्रदूषित कर रहा है। इसे रोकने हेतु प्रयास करना, लोगों को जागरूक बनाना। न्यास द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करनेवाली स्वैच्छिक संगठनों को प्रशिक्षित व जागरूक बनाना, आर्थिक सहयोग प्रदान करना तथा सम्मानित करना।
10. किसानों को जैविक अनाज, सब्जी, फल एवं फूलों की खेती, औद्योगिक फसलों की खेती हेतु प्रशिक्षण व जानकारी देना। ट्रस्ट द्वारा ठेके/पट्टे/लीज पर जमीन लेकर जैविक विधि से आदर्श कृषि फार्म स्थापित करना, किसानों को भ्रमण कराना एवं जैविक/ प्राकृतिक खेती हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करना।
11. किसानों को कृषि की नई तकनीकी खोज/शोध की जानकारी देना तथा विश्व के विकसित देशों की मांग आधारित निर्यातोन्मुखी अनाज, फल, सब्जी व औषधियों की खेती को प्रोत्साहन देना। ग्रीन हाउस एवं पॉली हाउस की स्थापना करना व करवाना।
12. हस्तशिल्पियों/बुनकरों को प्रोत्साहन देना, हस्तशिल्प में प्रशिक्षण देना, क्राफ्ट बाजार, मेला, सेमिनार, वर्कशाप आदि का आयोजन करना एवं हस्तशिल्पियों के कल्याण हेतु विविध कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उपरोक्त के सन्दर्भ में भारत सरकार, प्रदेश सरकार एवं सी0एस0आर0 फण्ड में सहयोग लेना।
13. वृद्ध व्यक्तियों हेतु वृद्ध आश्रम, डे-केयर सेन्टर/सेल्टर होम की स्थापना करना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना, उनके जीवन निर्वाह हेतु प्रयास करना। उन्हें मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान करना।
14. लोगों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, से एलौपैथ, भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, योगा, सिद्धा एवं होम्योपैथ आदि को प्रोत्साहन देना, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार-प्रसार करना, इनके प्रचारकों को प्रोत्साहन व सहयोग देना, ट्रस्ट द्वारा इन चिकित्सा पद्धतियों पर प्रशिक्षण हेतु चिकित्सा केन्द्रों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा शोध, अध्ययन, विकास एवं जनजागरण का कार्य करना।



Aditya Tandon




Aditya Tandon

15. आयुर्वेदिक औषधियों की सहज उपलब्धता हेतु हर्बल गार्डन की स्थापना करना व करवाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को जैविक विधि से आयुर्वेदिक औषधियों की खेती एवं बिक्री हेतु प्रोत्साहित करना व प्रशिक्षण देना। आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार से सम्बद्ध होकर आरोग्य फेयर, ट्रेड फेयर, आयुष फेयर, प्रदर्शनी, रोड शो, प्रतियोगिता आयोजित करना साथ ही योजनाओं का अध्ययन, आयुष पद्धतियों पर शोध व विकास के कार्यक्रमों का संचालन करना।
16. ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भण्डारण/बीज भण्डारण/सब्जी एवं फल भण्डारण एवं शीत गृह की स्थापना करना व करवाना।
17. समस्त जीव जगत के कल्याण हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना एवं विलुप्त हो रहे प्राणियों, वनस्पतियों एवं पशु-पक्षी, जीव-जन्तुओं के संवर्द्धन व संरक्षण हेतु प्रयास एवं अनुसंधान करना।
18. भारतीय संस्कृति, भारतीयता व राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाषा, देववाणी/संस्कृत तथा नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचार-प्रसार व संवर्द्धन हेतु कार्य करना। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन एवं खेल को बढ़ावा देने हेतु खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करना। मिनी स्टेडियम की स्थापना करना।
19. महिला एवं बाल हिंसा को रोकने हेतु प्रयास करना, जेण्डर के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना। मानव तस्करी व देह व्यापार को रोकने हेतु प्रयास करना।
20. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को प्रभावी बनाने हेतु विविध प्रयास करना, साथ ही अन्य अधिकारों जैसे-शिक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार, मानव अधिकार, बाल अधिकार, काम का अधिकार आदि के प्रति जागरूक बनाना।
21. ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में किसानों व मजदूरों एवं आम जनता के जरूरतमन्द बच्चों को ज्ञानप्रद, रोजगारपरक एवं संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, पब्लिक स्कूल एण्ड कालेज, एम0बी0बी0एस0 संस्थान, बी0ए0एम0एस0 संस्थान, फार्मेसी संस्थान, कृषि महाविद्यालय, पैरामेडिकल संस्थान, नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0, पालीटेक्निक संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोचिंग संस्थान, छात्रावास, विधि एवं अन्य तकनीकी संस्थान व व्यवसायिक शिक्षा हेतु शोध संस्थान, पुस्तकालय, वाचनालय तथा जनशिक्षण संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र एवं निजी/डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
22. गांव-गांव में किसान विकास केन्द्रों व किसान बाजार की स्थापना करना, गांव की नैसर्गिक/प्राकृतिक सुन्दरता/धरोहरों का संरक्षण करना, गांव को समृद्धशाली बनाना आदि।
23. सामाजिक कुरीतियों जैसे- दहेज, बाल-विवाह, अस्पृश्यता, भ्रूण हत्या, अन्धविश्वास, जातिवाद, साम्प्रदायवाद, नस्लवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद आदि को दूर करने एवं समाज को संगठित करने के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों का



Aditya Tandon



Aditya Tandon

आयोजन करना, सहभोज व सम्मेलन करना तथा साथ-साथ खाने एवं साथ-साथ गाने (सहयोग एवं सामूहिकता) की अवधारणा को विकसित करना।

24. प्राकृतिक धरोहरों/सम्पदाओं जैसे नदियां (गंगा, यमुना, चम्बल, नर्मदा, घाघरा, एवं अन्य छोटी-छोटी पहाड़ी नदियां) पहाड़, जंगल, तालाब, झील, कुएं, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत/महत्व के स्थल, पर्यटक स्थल, स्मारक स्थल, वृत्त आदि का संरक्षण, संवर्धन करना। इसके लिए जरूरत पड़ने पर जनजागरण अभियान चलाना व विविध कार्यक्रमों का संचालन करना। मों गंगा यमुना एवं अन्य नदियों को सदा निर्मल व सदानीरा बनाने हेतु निर्मल गंगा, यमुना एवं प्रकृति संरक्षण अभियान संचालित करना तथा लोगों को जागरूक बनाना।
25. जल ही जीवन है, लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा दिलाना। वर्षा जल संचय हेतु लोगों को जागरूक बनाना, जल संचय व जल प्रबन्धन हेतु विविध कार्यक्रमों को संचालित करना।
26. स्वच्छता स्वास्थ्य का प्रमुख आधार है। स्वच्छता हेतु साफ-सफाई, स्वच्छ शौचालय के रखरखाव व उसके उपयोग हेतु लोगों को जानकारी देना, स्वच्छ व सरस्ता शौचालय के निर्माण में लोगों को प्रशिक्षण देना। बायो गैस संयंत्र की स्थापना, जैविक ऊर्जा विकास मॉडल की स्थापना, बायो-एनर्जी मिशन का प्रचार-प्रसार, कार्बन क्रेडिट की जानकारी व उपयोग, सभी ठोस एवं तरल, जैविक अपशिष्ट पदार्थों, कचरा आदि का उपयोग करना तथा जैविक खाद बनाना।
27. श्रमिक महिलाओं, पुरुषों व उनके बच्चों के कल्याण हेतु विविध कार्यक्रमों का संचालन करना। कृषक महिलाओं को जागरूक बनाना एवं सहयोग प्रदान करना। बाल श्रमिक का कार्य कर रहे बच्चों का सर्वे करना, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संस्कार एवं कौशल विकास प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाना।
28. वैकल्पिक ऊर्जा, बायो ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के स्रोतों के विकास, संरक्षण व प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना।
29. सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाचनालयों एवं संग्रहालय की स्थापना तथा उनका संचालन करना व महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों, मूर्तियों, पत्रों, दस्तावेजों का संरक्षण करना।
30. विकलांग युवक/युवतियों, विधवा व परित्यक्तता महिलाओं के पुनर्वास व कल्याण हेतु विविध कार्यक्रमों का संचालन करना। दिव्यांगों हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना, दिव्यांगों को संगठित करना, उनके स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं पोषण हेतु प्रयास करना।
31. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना करवाना, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना कराना, दुग्ध व्यवसाय, डेयरी उद्योग, फल संरक्षण, बेकरी उत्पाद, शहद उत्पादन, लाख की खेती व लाख के उत्पाद, कुटीर उद्योग, मस्त्य पालन, मोती की खेती, पशुपालन, रेशम की खेती, मशरूम की खेती, मूर्ति कला एवं हस्तशिल्प आदि में युवकों एवं युवतियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा रोजगार स्थापित करने में ट्रस्ट द्वारा सहयोग प्रदान



Aditya Tandon




Disha

करना। ग्रामीण व नगरीय युवाओं व युवतियों को हुनर/क्षमता/दक्षता, विकास हेतु प्रशिक्षित करना व अन्य प्रयास करना।

32. आदिवासियों व अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े समाज व भारत के ऐसे नागरिक जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं या कर्ज के बोझ से दबे हैं। ऐसे लोगों के पुनर्वास, स्वरोजगार, कर्ज मुक्ति एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास करना। आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना, कोचिंग केन्द्रों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना, अन्य विविध कार्यक्रमों का संचालन करना।
33. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जागरूक बनाना, उनके शिक्षा, स्वरोजगार व कल्याण हेतु विविध कार्यक्रमों का संचालन करना। अल्पसंख्यक छात्रों हेतु कोचिंग क्लासेज, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
34. स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन करना, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र व अस्पताल की स्थापना करना। आम लोगों को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग देना। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, बागवानी, डेरी, फल संरक्षण, जल संरक्षण, हस्तशिल्प आदि के क्षेत्र में शोध, अध्ययन, सर्वेक्षण एवं विकास के कार्यक्रमों का संचालन करना।
35. लोक कला, लोक संस्कृति, लोक गायन, लोक नृत्य, लोक संगीत आदि को प्रोत्साहन देना, प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, नाटक व रंगमंच के सन्दर्भ में लोगों को जागरूक बनाना व प्रशिक्षित करना व सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय हित में लघु फिल्मों एवं नाटकों का निर्माण करना।
36. ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक व युवतियों को रोजगार हेतु प्रोत्साहन देना, प्रशिक्षण देना तथा रोजगार दिलाने में व रोजगार की स्थापना में सहयोग प्रदान करना तथा पलायन को रोकना, तथा अधिकाधिक युवाओं/युवतियों को हुनरमंद/क्षमतावान बनाना। उद्यमिता एवं दक्षता, जागरूकता शिविर का आयोजन, उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना। सफल, उत्कृष्ट उद्यमी को पुरस्कार प्रदान करना।
37. राष्ट्रीय विकास एवं राष्ट्रीय हित में योगदान देने वाले व उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसानों, मजदूरों, हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देना व राष्ट्र सेवा सम्मान से सम्मानित करना। लोकतंत्र के सशक्तिकरण हेतु कार्य करना इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित व जागरूक बनाना।
38. ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन करना, स्कूल, कालेज के विद्यार्थियों एवं समुदाय के लोगों को उपभोक्ता अधिनियम व भारत सरकार/प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक बनाना। उपभोक्ताओं के जागरूकता हेतु संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, साहित्य का प्रकाशन, उपभोक्ता क्लब का गठन करना, उपभोक्ताओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।



Aditya Tandon -



M. Tandon

39. ट्रस्ट द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास हेतु प्रयास करना। भारतीय भाषाएँ हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, असमी, बंगाली, वोडो, डोगरी, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, राजस्थानी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं व बोलियाँ जो कि लुप्त हो रही हैं, उनके प्रचार-प्रसार व प्रशिक्षण का कार्य करना, प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करना। उनके साहित्य पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन का कार्य करना आदि।
40. ट्रस्ट के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए केन्द्रीय व राज्य व जिला स्तर पर शाखाएं खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना।
41. ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण/समन्वित विकास हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य मंत्रालयों तथा विभागीय/वित्तीय संस्थाओं, सी0एस0आर0 कम्पनियों के मार्गदर्शन व सहयोग से विविध कार्यक्रमों का संचालन करना तथा मंत्रालयों एवं विभागों के नोडल एजेंसी एवं पी0आई0ए0 के रूप में शोध, अध्ययन, सर्वेक्षण व विकास के कार्यक्रमों को संचालित करना।
42. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक, वित्तीय ट्रस्ट अथवा स्थानीय राज्य सरकार/निगम आदि से चन्दा, दान, सी0एस0आर0 फण्ड, अनुदान, ऋण आदि प्राप्त करना। खादी ग्रामोद्योग आयोग की विविध योजनाओं को संचालित करना। प्राधिकरणों अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार/निगम आदि से चन्दा, दान, सी0एस0आर0 फण्ड, अनुदान, ऋण आदि प्राप्त करना। खादी ग्रामोद्योग आयोग की विविध योजनाओं को संचालित करना।
43. ट्रस्ट द्वारा अपने सभी अथवा किसी उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी भूमि, भवन, सुखाचारों, भोगाधिकारों तथा चल/अचल सम्पत्तियों का दान, क्रय, विक्रय, किराये, पट्टे पर लेना या किराये पर देना या किसी अन्य तरीके से अर्जित करना आदि।
44. राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करना, महापुरुषों की जयन्ती समारोह का आयोजन व जनजागरण अभियान चलाना तथा समाज के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक विकास एवं सामाजिक समरसता हेतु प्रयत्न करना तथा देश को आजादी दिलाने वाले तथा नैतिक बल व मार्गदर्शन प्रदान करने वाले महापुरुषों सहित कवियों, साहित्यकारों, अमर शहीदों एवं वैज्ञानिकों की जयन्ती समारोह पुण्य तिथि/अमृत दिवस व संगोष्ठी का आयोजन करना तथा उनके सपनों का गांव, समाज व देश बनाना।
45. ट्रस्ट के उद्देश्य बालक एवं बालिकाओं का शैक्षिक सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशिक्षण देकर उन्हें आदर्श योग्य नागरिक बनाने का प्रयास करना इसके अन्तर्गत अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम से प्राथमिक स्तर से लेकर स्नात्कोत्तर तक कला, विज्ञान, कृषि व्यवसायिक प्रशिक्षणों, कृषि शिक्षा, कामर्स, पी0एच0डी0, पी0एड, एम0एड0, वी0पी0एड0, बी0टी0सी0, आई0टी0आई0, आई0टी0 पॉलिटेक्निक,



Aditya Tandon.



M. Tandon

इन्जीनियरिंग, विद्यालयों को आवासीय एवं गैर आवासीय के साथ देश के सभी असेवित ब्लॉकों में सरकारी अनुदान लेकर समस्त प्रकार के विद्यालयों को खोलना, सभी प्रकार की इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटर सेन्टरों को खोलना।


46. ट्रस्ट के संचालन हेतु ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सरकार से सरकारी भूमि, ग्रामसमा की भूमि, नगरपालिका की भूमि को पट्टा या किराये पर लेकर पर्यावरण की दृष्टि से उस पर वृक्षारोपण करना, पार्कों का निर्माण करना भवन निर्माण, कृषि को बढ़ावा देने वाले कृषि पौधों को रोपण, खेलकूद मैदान, बिल्डिंग निर्माण आदि बनाना है इस पर शासन एवं प्रशासन की अनुमति से अनुदान लेना तथा उसका सदुपयोग करना।
47. ट्रस्ट का उद्देश्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा जनहित में घोषित सभी विकासशील योजनाएं, परियोजनाओं हेतु सरकारी अनुदान लेकर उन्हे मानक के अनुसार क्रियान्वयन करना सहभागिता करना आदि है।
48. ट्रस्ट का उद्देश्य जनहित में विद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु सभी प्रकार की सांसद निधि, विधायक निधि, सरकारी अनुदान एवं गैर सरकारी अनुदान से होने वाली विकासशील योजनाएं कार्यक्रमों एवं बिल्डिंग (भवन) निर्माण हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुदान प्राप्त करना आदि है।
49. अनाथ, निराश्रित, विधवा, परित्याक्यता, वृद्धावस्था, विकलांगता, आश्रम बच्चों/पुरुष/महिला विकास, जीविकोपार्जन हेतु पुनर्वास/वृद्धाश्रम आवासीय एवं गैर आवासीय केन्द्रों की स्थापना करना इसके लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुदान लेना आदि है।
50. ट्रस्ट का उद्देश्य हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू एवं अन्य भाषाओं के माध्यम से शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु प्लेग्रुप से लेकर स्नातकोत्तर तक सक्षम विश्वविद्यालयों केन्द्रीय बोर्डों सभी राज्य के बोर्डों (दिल्ली बोर्ड, सी0वी0एस0ई0, आई0एस0सी0, यू0पी0 बोर्ड) आदि से मान्यता लेकर विद्यालयों को खोलना एवं संचालन करना आदि है। रोजगार हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षणों एवं कोचिंगों की व्यवस्था करना आदि है।

51. ट्रस्ट का उद्देश्य ट्रस्ट के विकास हेतु बिल्डिंग निर्माण हेतु बैंकों से ऋण लेना विद्यालय की जमीन बन्धक के रूप में रखना तथा सही समय पर ऋण का भुगतान आदि है।

52. ट्रस्ट का उद्देश्य किसी अन्य ट्रस्ट/समिति द्वारा यदि मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्था अपनी निजी भूमि पर संचालित है और उसका क्रियान्वयन सही नहीं कर पा रही है यदि वह ट्रस्ट श्री शिवनाथ टण्डन मेमोरियल किड्स वेली ऐजुकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट सोसाईटी को गोद लेने हेतु सर्व सम्मति से अनुदान लेना आदि है तो उसे श्री शिवनाथ



Aditya Tandon -



Aditya Tandon

टण्डन मेमोरियल किड्स वेली ऐजुकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट सोसाईटी गोद ले सकता है और यह विद्यालय/संस्था श्री शिवनाथ टण्डन मेमोरियल किड्स वेली ऐजुकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट सोसाईटी से संचालित माना जायेगा। इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति/दोनों ट्रस्टों के पदाधिकारियों या सदस्यों को ट्रस्ट पर विधिक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा। न ही न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकारी होगा।

53. चलचित्रों व राष्ट्र निर्माण फिल्मों को बनाना व उनका प्रचार-प्रसार करना, क्रेन्द्रीय गायन, संगीत समाज सुधारक नाटकों, प्रहसन ड्रामा आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना इसके लिये सरकार से अनुदान लेना आदि है।

54. दीन दुःखियों की सेवा कर जनमानस में बड़ी हुई जनसंख्या, हिंसा, अन्ध विश्वास, छुआ छूत, रंगभेद, ऊँच नीच, समूल नष्ट कर जागरुकता पैदा करना इसके लिये कार्यक्रमों का आयोजन करना, क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना।

55. संस्थान केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त विभागों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, स्वस्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्रालय, उर्जा एवं वैकल्पिक उर्जा मंत्रालय, पंचायतीराज बाल एवं पुष्टाहार मंत्रालय, सामाजिक अधिकारित मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, बेसिक माध्यमिक, उच्च शिक्षा मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मानव संसाधन मंत्रालय, फल एवं खाद प्रसंस्करण मंत्रालय, हस्तलिपि वस्त्र मंत्रालय, कृषि एवं भूमि सुधार परियोजनायें, आबकारी मद्यनिघेषन, पिछडा एवं अनुसूचित जनजाति, वित्त निगम, समाज कल्याण निगम, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राज्य समाज कल्याण बोर्ड, मध्यान्ह भोजन, हॉटकुक्ड, नाबार्ड, ग्रामीण विकास अभिकरण, यू0पी0एच0एस0डी0पी0, सूडा, तम्बाकू नियंत्रण आदि से संचालित विकासशील विभिन्न योजनायें एवं परियोजनाओं को शासन, प्रशासन, सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुदान लेना, उन्हे संचालन करना, कार्यक्रम सही समय पर प्रारम्भ एवं समापन करना, तथा सभी कार्यक्रमों के दस्तावेजों को सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित समय दिनांक पर जमा करना आदि।

56. ट्रस्ट का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के मदरसों एवं मदतवो की स्थापना करना अल्पसंख्यकों हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं को लेना लिए पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास की व्यवस्था करना आदि है।

57. यू0पी0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग की योजनाएं लेकर ऋण अनुदान लेना आदि।

Aditya Tandon



M. Tandon

58. हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई समाज के युवक, युवतियों के सामूहिक विवाह कराकर गरीब युवक-युवतियों का विकास करना आदि हेतु ट्रस्ट की भूमि पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना।

59. स्वच्छता पेयजल, जल संरक्षण, जल संचयन, स्वजल धारा महिला समृद्धि योजना, कृषि विविधीकरण योजनाएं, सामाजिक वानिकी, भूमि सुधार, ऊसर सुधार, नेहरू युवा केंद्र, डी0आर0डी0ए0, एन0सी0आर0टी0 की सभी योजनाओं को लेकर सरकारी अनुदान से उनके कार्या को क्रियान्वयन करना आदि।

60. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रूपया 25000/- से एक ट्रस्ट, द्वारा आदित्य टण्डन पुत्र श्री अजय टण्डन, निवासी- 2/147, खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, द्वारा संस्थापक के रूप में स्थान- 2/147, खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित ट्रस्टी हैं।

क्र. सं.	नाम, पिता/पति का नाम	उम्र	पद	व्यवसाय	पूरा पता
1.	श्री आदित्य टण्डन पुत्र श्री अजय टण्डन	27	मुख्य ट्रस्टी	समाजसेवा	2/147, खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश
2	श्री मिहिर टण्डन पुत्र श्री अजय टण्डन	24	ट्रस्टी	समाजसेवा	2/147, खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश



Aditya Tandon

M. Tandon



श्री अजय तंडन
S/o Omprakash
Shrivastav
मि० अजरिच
सालिमाम प

कुलदीप लाल
501/ए० राज प्रसाद
नि. व. अरिपुत्रा टण्डन
फर्रुखाबाद




दिनांक 24/03/2022

डा. फर्रुखाबाद फरहत अली खां एडुकेटि
सर् - लडकी क फर्रुखाबाद

आवेदन सं०: 202200832004990

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 80 के पृष्ठ 131 से 152
तक क्रमांक 37 पर दिनांक 25/03/2022 को
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रधुम्न सिंह

उप निबंधक : सदर

फर्रुखाबाद

25/03/2022

